जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　दिनॉक 19-11-2021

आज दिनांक 19.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री राजेश मोदक** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संजय कुमार** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त / वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.11.2021 को थानाध्यक्ष दुधारा **श्री सर्वेश राय** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 337 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित **अभियुक्त मल्लू उर्फ कादिर पुत्र मो वकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीनगर** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मल्लू उर्फ कादिर पुत्र मो वकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 136 /20धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 69 / 21 धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

3- मु0अ0सं0 138/ 20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

4- मु0अ0सं0- नील /20 धारा 3 / 4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

थानाध्यक्ष दुधारा श्री सर्वेश राय, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0कां0 बृजेश पाण्डेय, का0 अरविंद यादव, कां0 विशाल सिंह, का0 अनूप यादव।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 71 / 2021 धारा 376 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी / एसटीएक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता पवन कुमार पुत्र अमर सिंह उर्फ अमरनाथ ग्राम कंवर कंवरी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 19.11.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी बौरव्यास उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 तेजप्रताप चौरसिया, कां0 सत्यम सिंह ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता अनीता पत्नी कृष्णा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 212 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बलः- का0 राजाराम गुप्ता, म0का0 डाली ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3315 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3315 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत पक्का पोखरा से इवेन्ट संख्या 10026 से मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से प्रा0 स्व0 केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी जगराम वर्मा, हो0चा0 अन्नू प्रसाद गौड़ ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 140 वाहनो से 98000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 140 वाहनो से 98000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।